



## कार्यालय खण्ड शिक्षा अधिकारी शाहाबाद (हरदोई)

पत्रांक - बेसिक/ 367 /2025-26

दिनांक - 30-10-2025

### संसोधित कार्यालय आदेश

प्रधानाचार्य,  
नालन्दा शिक्षण संस्थान, मूजागढ  
शाहाबाद हरदोई।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 25.10.2025 के क्रम में दिनांक 29.10.2025 को आपके विद्यालय का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि विद्यालय में कक्षा 6 तक कक्षाएं संचालित हैं तथा वर्तमान में विद्यालय का कुल नामांकन अभिलेखानुसार 854 है। विद्यालय का भौतिक परिदृश्य भवन व अन्य सहायक शिक्षण सामग्री व्यवस्थित पायी गयी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय हरदोई के आदेश पत्रांक संख्या बेसिक/9235-42/2017-18 दिनांक 29.12.2017 से तीन वर्ष के लिए दी गयी मान्यता के क्रम में कोई भी प्रतिकूल तथ्य प्राप्त न होने के परिपेक्ष्य में शिक्षा निदेशक बेसिक के आदेश पत्रांक शि0नि0(बे0)/मान्यता/38274-371/2025-26 दिनांक 10.10.2025 के अनुपालन में आपके विद्यालय को प्रदत्त अस्थायी मान्यता को स्थायी प्रकृति की मान्यता औपबन्धिक मान्यता प्राप्त होने की तिथि से विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त मान लिया जायेगा। तदनुसार सूचित होना चाहे।

*Prakhar Dixit*

**Manager**  
Nalanda Shikshan Sansthan  
Moojagarh  
Shahabad-241124, Hardoi

**MANU KR. SHUKLA**  
**Principal**  
Nalanda Shikshan Sansthan  
Moojagarh  
Shahabad-241124, Hardoi

शुद्धीय  
30/10/25  
(राजेश कुमार)  
खण्ड शिक्षा अधिकारी  
शाहाबाद-हरदोई

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हरदोई।

सेवा में,

प्रबन्धक,  
नालन्दा शिक्षण संस्थान मूजागढ  
शाहाबाद, हरदोई।

पत्रांक: बेसिक/ 9235-42 /2017-18 दि० 29/12/17

विषय : निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) तथा नियमावली 2011 के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्पूर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रति निर्देश से मैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हरदोई आपके विद्यालय को शिक्षा सत्र 2017-18 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के स्तर तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन है-

- 1-मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता दिवक्षित नहीं है।
- 2-विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) तथा नियमावली 2011 के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3-विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा, और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4-पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5-सांसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अधीन नहीं करेगा।
- 6-विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-  
(1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्काशित नहीं किया जायेगा।  
(2) किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जायेगा।  
(3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।  
(4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।  
(5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तताग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।  
(6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथाअधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इन अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, 05 वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।  
(7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और,  
(8) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा।

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल: 7520 वर्ग मी०

कुल निर्मित क्षेत्रफल: 1700 वर्ग मी०

क्रीडा स्थल का क्षेत्रफल:-पर्याप्त है

कक्षाओं की संख्या: 10

प्राध्यापक-सहकार्यालय-सहभंडार के लिये कक्ष 04

बालक सुविधाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है

शुद्ध जल सुविधा उपलब्ध है।

**Manager**  
Nalanda Shikshan Sansthan  
Moojagarh  
Shahabad - 241124, Haridoi

**MANU KR. SHUKLA**  
Principal  
Nalanda Shikshan Sansthan  
Moojagarh  
Shahabad - 241124, Haridoi

मिड डे मील पकाने हेतु रसोई-एक  
बाधा रहित पहुँच- उपलब्ध हैं।

अध्ययन पठन-पाठन सामग्री/कीडा खेल कूद उपस्करों/पुस्ताकालय की उपलब्धता-उपलब्ध हैं।

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेगी।
10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा- स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
11. विद्यालयों को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवक्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेण्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाना चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता संख्यांक: X हैं। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्री के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
17. शासनादेश दिनांक 08.05.2013 में दिए गए समस्त आदेशों का पालन सुनिश्चित किया जाए।
18. उक्त मान्यता आदेश मण्डलीय मान्यता समिति की स्वीकृत/निर्णय दिनांक 14.12.2017 के आधार पर मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) षष्ठ मण्डल, लखनऊ के पृ0सं0-आशु0/मान्यता/7578-79/2017-18 दिनांक 16.12.2017 के क्रम में निर्गत हैं।
19. मान्यता शर्तों के अधीन विद्यालय में उपलब्ध उक्तानुसार शिक्षण कक्ष की माप के आधार पर प्रति छात्र 09 वर्ग फीट के अनुसार निम्नानुसार छात्र नामांकित किये जायेंगे। अधिक छात्रों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। कक्षा नर्सरी से आठ तक कुल ..... छात्र नामांकित किये जायेंगे।

भवदीय,

(मसीहुज्जमा सिद्दकी)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हरदोई

पृ0सं0: मान्यता/ /2017-18 दिनांक-उक्तवत्।  
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. जिलाधिकारी, हरदोई।
2. मुख्य विकास अधिकारी, हरदोई।
3. शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ/इलाहाबाद।
4. सचिव, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद।
5. जिला समाज/जिला अल्पसंख्यक/जिला पिछडा वर्ग/जिला विकलांग कल्याण अधिकारी, हरदोई।
6. उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी (नगर/ग्रामीण) हरदोई।
7. कार्यालय गार्ड फाइल।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हरदोई

*Ranjit Singh*  
Manager  
Nalanda Shikshan Sansthan  
Moojagarh  
Shahabad-241124, HarDOI

*Manu Kr. Shukla*  
MANU KR. SHUKLA  
Principal  
Nalanda Shikshan Sansthan  
Shahabad-241124, HarDOI